भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेरी प्लांट हबीबगंज भोपाल–462024
दूरभाष – 0755 2680250 से 53
E,mail- sanchi.bhopal@gmail.com

बैतूल से इटारसी मार्ग पर परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा सूचना

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत डेयरी संयंत्र, बैतूल से इटारसी मार्ग पर में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकार्य हेतु द्वितीय ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय रूप से सक्षम निविदाकर्ता इस कार्य हेतु प्रतिभूति राशि एवं अन्य नियम एवं शर्ते की विस्तृत जानकारी www.mpcdf.nic.in, www.sanchibhopal.com से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्त्ता को निविदा प्रपत्र रू. 1000/– में www.mptenders.gov.in से क्रय कर दिनांक 02.06.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। भौतिक रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र अमान्य होंगे। ऑनलाईन निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। प्रतिभूति राशि केवल ऑनलाईन माध्यम से जमा करना होगा। बिना प्रतिभूति राशि के निविदा प्रपत्र अमान्य होगें। प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों को दिनांक 03.06.2020 को 01:00 बजे के उपरांत ऑनलाईन खोली जावेगी तथा निविदा संबंधी कार्यवाही भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में अपरान्ह 02:30 बजे से उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधियों के समक्ष की जावेगी। मार्ग संबंधी संपूर्ण जानकारी निविदा प्रपत्र में संलग्न है। ई–निविदा भरने संबंधी जानकारी भोपाल दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई मुख्यालय की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम प्रकाशित नही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2020-2022

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल - 462024
दूरभाष - 0755. 2680250 से 53
फैक्स नम्बर -0755. 2450896
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.06.2020 दोपहर 12:00 बजे
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन खोलने तिथि एवं समय	दिनांक 03.06.2020 दोपहर 1:00 बजे से भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में।
3.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	रू. 100000/— (एक लाख मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से।
4.	परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप ।	परिशिष्ट क्र. 01
5.	परिवहनकर्त्ता की ''सामान्य शर्तें''	परिशिष्ट क्र. 02
6.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप (केवल अवलोकन हेतु)	परिशिष्ट क्र. 03
7.	निविदाकार का परिचय	परिशिष्ट क्र. 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथाः ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।

टिप्पणी :–

1 निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1(क). <u>निविदा कार्य अवधिः–</u>

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2020–2022 (दो वर्ष) के लिए आमंत्रित है।

2. <u>न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण</u>

स.क्र.	विवरण	स. क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगें।
	अनिवार्य अर्हताऐं–		**अनिवार्य दस्तावेज**
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोशित करना होगा। स्वामित्व / फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.04** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि ऑन लाईन के माध्यम से जमा होना चाहिये।	4.5	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	निविदा फार्म का शुल्क जमा किया हो।	4.8	निविदा फार्म क्रय किये जाने / वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-paymentके माध्यम से।

6. **<u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय–</u>**

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mptenders.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार रूपये मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

भोपाल दुग्ध संध के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत डेयरी संयंत्र, डेरी सेयेत्र बैतूल से इटारसी मार्ग में साँची दूध एवं दूध पदार्थों के परिवहनकार्य हेतु दिनांक...................... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। मै/हम दुग्ध संयंत्र, बैतूल से इटारसी मार्ग हेतु यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रू. 100000/– (रूपये एक लाख मात्र) के मान की ऑनलाईन रसीद, क्रमांक ....दिनांक ....संलग्न कर रहा हूँ।

<u>तकनीकी अर्हताएं</u>

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के समस्त दस्तावेज की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू.100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
6.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस/पंजीयन की प्रति संलग्न करे।		एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस/पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
7	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें।
8	दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में एवं दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी कोई संबंध नहीं है के संबंधी शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।		तत्संबंध में तदाशय का शपथ पत्र रू 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।
	दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में एवं दुग्ध संघ के एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से अनिवार्य है।		तत्संबंध में तदाशय का शपथ पत्र रू 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।
10	वित्तीय वर्ष, वर्ष 2017–18 एवं 2018–19का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, वर्ष 2017–18 एवं 2018–19की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

11	दुग्ध, दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		निविदाकार स्वयं के नोटराईज्ड रू 100/— के संबंध में लेटर हेड पर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट :— (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ ऑनलाईन रूप से संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :— ——————————————

पता :——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नं.——————————————

मोबाईल नं ——————————————

साँची दूध एवं दूध उत्पाद परिवहनकार्य हेतु

निविदा की आवश्यक शर्ते :–

(1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासर्पोट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

(2) **निविदाकार के पास 600 क्रेट क्षमता का इन्सयुलेटेड वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2017 का हो से पंजीकृत हो एवं उसके बाद के वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।वाहन संबंधी समस्त अनिवार्य दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करना होगा।**

(3) निविदाकार को निविदा के साथ रू.100000/– (रू.पचासहजार रूपये) केवल ऑनलाईन डिजीटल पेमेंटद्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।

(4) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की सुरक्षा निधि राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।

(5) **निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई सुरक्षा निधि राशि रू. 300000/– (रू. तीन लाख मात्र) डीडी के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट '' भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' भोपाल के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का सुरक्षा निधि राशि में निविदा स्वीकृति उपरांत समायोजन किया जा सकेगा। सुरक्षा निधि राशि जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।**

(6) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो सुरक्षा निधि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाऐगा।

(7) निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(8) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाऐगा।

(9) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(10) निविदाकार के पास निविदा में मांग गये मार्ग अनुसार यदि वाहन उपलब्ध हो तो उसे (निविदाकार) निविदा के साथ वाहन के संपूर्ण दस्तावेज ऑनलाईन स्केन कर एवं अन्य वांछित दस्तावजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(11) **निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकार्य अवधि दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम तीन वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। **दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।**

(12) अनुबंध अवधि में परिवहनकार्य को आवंटित मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकार्य को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(13) सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

(14) **कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में शासकीय/अशासकीय संस्थासे कभी भी किसी भी कार्य से ब्लैक लिस्ट नहीं किया हो तथा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बावत भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र भरकर देना होगा, यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र किसी भी समय गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा। उपरोक्त के अंतर्गत इस हेतु निविदा के साथ रू. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर देना होगा। शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में निविदा अस्वीकार होगी।**

(15) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।

(16) निविदाकार यदि वर्तमान में परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्धारित अवधि के अंदर जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया जाऐगा अन्यथा की दशा में निविदाकार की निविदा अमान्य करने एवं ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निहीत होगा।

(17) निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथाः ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।

(18) निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। जिसकी जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।

(19) अनुबंध अवधि के दौरान परिवहनकर्ता यह ध्यान रखे कि केन/क्रेटस की किसी भी प्रकार से बकाया राशि होने की दशा में सुरक्षा निधी राशि वापसी की कार्यवाही नही की जावेगी तथा अनुबंधित वाहन जब्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।

(20) निविदाकार को प्रदाय किये गये केन/क्रेटस प्रतिदिन डेरी संयत्र बैतूल में जमा करेंगे यदि किसी भी कारणवश केन/क्रेटस जमा नही की जाती है तो इस दशा में परिवहनकर्ता द्वारा रोके गये कुल क्रेटस पर 10 प्रतिशत की गणना से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

(21) यह कि अनुबंधित वाहन क्षमता से अधिक मांग होने पर परिवहनकर्ता को पृथक से वाहन वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार से कोई भुगतान नही किया जावेगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा में, पृथक से वाहन व्यवस्था से दुग्ध वितरण किया जाना है तो इस दशा में दुग्ध संघ द्वारा व्यय की गई राशि (डीजल/अन्य) का कटौत्रा, द्वितीय पक्ष के देयको से किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

(22) आवेदनकर्ता को निविदा में मांगे गये वांछित दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड कर जमा करना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा निविदा कार्यवाही के दौरान दस्तावेज कम या गलत पाये जाने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(23) निविदाकार द्वारा निविदा अनुसार वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने की दशा में जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर निविदाकार की निविदा निरस्त की जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधी राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।

(24) निविदाकर्ता निविदा में मांगे गये वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित कर उपलोड करें। दस्तावेज स्वप्रमाणित सत्यापित न होने की दशा में, ऐसी निविदाओ पर विचार नही किया जावेगा।

मेरे द्वारा परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूँ। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 24 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

परिशिष्ट क्र.03

वित्तीय बिड(केवल ऑन लाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) रू./लीटर	परिवहन दरें (शब्दों में)रू./लीटर
1.	दुग्ध संयंत्र बैतूल से इटारसी मार्ग		

नोटः—निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह घ्यान रखना होगा कि वे अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में दरें स्पष्ट रूप से अंकित करें। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाऐगा।

परिशिष्ट क्र.04

स्वयं का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो लगावें।

निविदाकार का परिचय

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)

4. प्रस्तावित मार्ग का नाम ....

5. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

6. ई–मेल एड्रेस (अनिवार्य है) ....

7. वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम ....

8. शैक्षणिक योग्यता ....

9. आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....

....

10. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....

....

11. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

12. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी.का रसीद नंबर ....

(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थवितरक सह परिवहनकर्ता कार्यसंबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

परिशिष्ट क्र.05

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.................................... निवासी....................................भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम————————

पता————————

————————

————————

हस्ताक्षर————————

परिशिष्ट क्र.06

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं................................... निवासी...................................भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा शासकीय/अशासकीय संस्था से पूर्व में कभी भी किसी भी कार्य से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम––––––––––––

पता––––––––––––
––––––––––––––––
––––––––––––––––

हस्ताक्षर–––––––––––––

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकार्य अनुबंध प्रारूप

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन / वितरण हेतु अनुबंध–प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल एवं श्री .... जिन्हें आगे परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया जावेंगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :–

परिवहनकर्ता द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल के दुग्ध संयंत्र बैतूल से संचालित मार्ग .... के समस्त वितरण केन्द्रो तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्रमांक ....से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल, द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवदेन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तो पर निविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रू................... प्रति लीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रो में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ का होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
3. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रो पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर भोपाल डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के बिल में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रो पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा परिवहनकर्ता को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की ही होगी एवं यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
5. (1) यह कि परिवहनकर्ता वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारीश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/दूसरा इंतजाम करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

   (2) वैकल्पिक मार्ग से अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान अनुबंधित दर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सह.दु.संघ की स्वीकृती पश्चात् किया जा सकेगा । अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह परिवहनकर्ता से वसूली नियमानुसार योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
6. यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहनकर्ता पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने /दुग्ध वापस आने पर या टूट फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व वाहन परिवहनकर्ताका रहेगा।
7. यह कि परिवहनकर्ता हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काटली जायेगी जो परिवहनकर्ता को मान्य करनी होगी।

8. यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली परिवहनकर्ता के देयक से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

9. यह कि परिवहनकर्ता के वाहन चालक, परिवहनकर्ता के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेंगी।

10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेंगी ।

11. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दुग्ध संघ प्रयोगशाला में परिपेक्ष में जांच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12. यह कि वाहन परिवहनकर्ता द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (शाला) परिक्षण में जांच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

13. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी का कार्य से परिवहनकर्ता को तुरन्त हटा देना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

14. संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डाक पर परिवहनकर्ता छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।

15. यह कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का र्दुव्यवहार नहीं किया जावेग व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

16. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो परिवहनकर्ता से रूपये 50/– (रूपये पचास मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनिट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगुना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा। जितने दिन परिवहनकर्ता दुग्ध वितरण के लिए अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिए रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।

17. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात रूपये 500/– प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में आपके बिल से कटौत्री की जा सकेगी।

18. यदि परिवहनकर्ताका वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा।
19. यह कि परिवहनकर्ताका वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ताकी होगी इस हेतु जानकारी कार्यालय को देनी होगी।
20. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल डेरी भोपाल अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्तादुग्ध या दुग्ध सेचेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को नहीं ले सकेगा।
21. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, परिवहनकर्ताको नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
22. वाहन चालक एवं अटेन्डेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के सचेट मुख्य कार्य पालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभ्रद व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लान्ट आपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा।
23. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .... से ठेके की अवधि .... के लिये प्रभावशाली रहेंगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्य पालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ बिना कोई कारण बताए ठेका समाप्त कर सकेगा एवं ठेका समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
24. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ भोपाल के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
25. परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा।
26. भोपाल डेरी को बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।
27. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/– परिवहनकर्तापर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
28. परिवहनकर्ताद्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
29. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्य पालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को होगा।
30. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) मा.अध्यक्ष महोदय, भोपाल के समक्ष रखा जाऐगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ सुरक्षित रखता है।
32. वाहन परिवहनकर्ताको क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र परिवहनकर्ताको दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के परिवहनकर्ता देयक से कम क्रेटो की राशि काट ली जावेगी। कटौत्रा होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।
33. ठेकेदार खाली क्रेटो, का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके लिए स्वयं परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा।
34. यह अनुबंध दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम तीन वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

35. यदि वाहन परिवहनकर्ता शर्तो के परिचालन में असमर्थ है या ठेका समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

36. वाहन ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की सूरत में परिवहनकर्ता द्वारा भोपाल दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण भोपाल दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ताकों भोपाल सहाकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो कि परिवहनकर्ता से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

37. वाहन परिवहनकर्ता भोपाल दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का नाम मात्र सदस्य बनेगा एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

38. निविदा अवधि के बीच में यदि डीजल, ऑयल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी स्वीकृत परिवहन दरों में प्रभावशील की जाऐगी।

39. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन परिवहनकर्ता द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन परिवहनकर्ता की होगी।

40. दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते परिवहनकर्ता इन्स्युलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

41. यदि कार्य सम्पादन निरोपित करने में वाहन परिवहनकर्ता संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नही पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिए परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन परिवहनकर्ता की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

42. दुग्ध की माँग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की माँग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा दुग्ध उत्पाद न ले जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को रूपये 1000/– प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाया जावेगा।

43. उपरोक्त अनुबंध के शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिए जाऐंगे वह वाहन परिवहनकर्ता जो इस अनुबंध के भाग माना जाऐंगे।

44. निविदाकार/आवेदक दरें डीजल दरों एवं टोल टैक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करें। निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल का भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ का होगा।

45. भविष्य में निविदाकर्ता का यदि माननीय अध्यक्ष महोदय भोपाल दुग्ध संघ/संचालक मंडल के किसी भी सदस्य/दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी/रिश्तेदार से किसी भी प्रकार से संबंध होने की जानकारी पायी जाने पर निविदा के नियम एवं शर्तो के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी एवं दुग्ध संघ किसी भी प्रकार की न्यायालीन कार्यवाही से मुक्त होगा।

46. अनुबंध अवधि के दौरान परिवहनकर्ता यह ध्यान रखे कि केन/क्रेटस की किसी भी प्रकार से बकाया राशि होने की दशा में सुरक्षा निधी राशि वापसी की कार्यवाही नही की जावेगी तथा अनुबंधित वाहन जब्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।

47. परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये केन/क्रेटस प्रतिदिन डेरी संयत्र बैतूल में जमा करेंगे यदि किसी भी कारणवश केन/क्रेटस जमा नही की जाती है तो इस दशा में परिवहनकर्ता द्वारा रोके गये कुल क्रेटस पर 10 प्रतिशत की गणना से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

48. यह कि अनुबंधित वाहन क्षमता से अधिक मांग होने पर द्वितीय पक्ष को पृथक से वाहन वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार से कोई भुगतान नही किया जावेगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा में, पृथक से वाहन व्यवस्था से दुग्ध वितरण किया जाना है तो इस दशा में दुग्ध संघ द्वारा व्यय की गई राशि (डीजल/अन्य) का कटौत्रा, द्वितीय पक्ष के देयको से किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

49. अनुबंध अवधि में परिवहनकार्य को आवंटित मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकार्य को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि परिवहनकर्ता अतिरिक्त वाहन व्यवस्था करने में असमर्थ होता है तो निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

50. यह की संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा औचक निरिक्षण किये जाने के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा कतिपय कारणों से दुग्ध वितरण संबंधि अनियमितता की जाने जैसे अन्य ब्रांडो का दुग्ध/मांग से अधिक दुग्ध क्रेट्स/पैकेट्स पाये जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता का ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात करने एवं संबंधित परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ का होगा।

51. द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत की गई वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने की दशा में जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त की जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधी राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

नाम : ....

मै.................................पिता/पति/पत्नी का नाम ....आयु............ निवासी ....परिवहनकर्ता ग्रामीण मार्ग .... अपना विधि सम्मत उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... को घोषित करता हूँ/करती हूँ साथ ही निविदा स्वीकृत होने के उपरांत मुझे संघ की समस्त शर्ते एवं नियम मान्य है। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त मे से किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने **पर संघ किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।**

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम पक्ष)
भोपाल दुग्ध संघ

नाम : ....

हस्ताक्षर गवाहदार

प्रभारी (विपणन)

1 गवाह का नाम ....
हस्ताक्षर ....
पता ....

2 गवाह का नाम ....
हस्ताक्षर ....
पता ....

बैतूल से इटारसी मार्ग– ग्रामीण विपणन

1.पाडहर

2.शाहपुर

3.भौरा

4. एएससी इटारसी (विभिन्न शाखाएं)

4.इटारसी

परिवहनकर्त्ता कार्य प्रति लीटर पर

1 वाहन क्षमता 600 क्रेट, माडल **2017 Year Manufacturing** का हो एवं पंजीकृत हो अथवा उसके बाद का

नोटः– औसत दुग्ध विक्रय लगभग 5300 लीटर प्रतिदिन।